11/02/23	पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत बेंच न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुड़ामालानी पेश हुई। पक्षकारान के बीच प्रार्थी को उक्त राशि आदेश नकल के मिलान जाकर रखने न्यायालय उक्त राशि न्यायालय आदेश की पालनार्थ तहसील जावे हो पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे पत्रावली निर्णय रजिस्टर होकर दाखिल दफ्तर हो।

अध्यक्ष
लोक अदालत
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजि.
गुड़ामालानी (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:21 IST
Reason: SelfAttested

राष्ट्रीय लोक अदालत – 11.02.2023

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प– न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गुड़ामालानी

प्रकरण संख्याः 212/2022

प्रार्थीगण :–

1. डूगराराम पुत्र लाभूराम
   जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. मालाराम पुत्र जसवन्ताराम वगैरा (7)
   जाति जाट निवासी देवलनगर तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

8. तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 11/02/23

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प–गुड़ामालानी पेश हुई हमने प्रार्थी के अधिवक्ता श्री बाबूलाल विश्नोई की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अंतिम चौसाला आधार सम्वत् 2073–2076 जमाबन्दी 2078 (वर्ष 2021) से स्थाई सरहद मौजा देवलनगर के खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 3.8364 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम का अवलोकन किया, जिसमें प्रार्थी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:21 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गुडामालानी

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि सरहद मौजा देवलनगर के खेत खसरा नम्बर 89 रकबा 3.8364 हैक्टेयर किस्म बारानी सोयम के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार गुड़ामालानी को 1000/– शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार गुड़ामालानी को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार गुड़ामालानी बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/02/23 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.03.21 16:48:21 IST
Reason: SelfAttested